



कार्यालय प्राचार्य
स्व. डारन बाई तारम शासकीय महाविद्यालय गुरुर

जिला-बालोद, छ.ग, भारत
(हेमचंद यादवविश्वविद्यालय दुर्ग, छत्तीसगढ़, भारत से संबद्ध)



Ph No : 07749 – 265461

Email : gururgovernmentcollege@gmail.com


Website : gcgurur.org.in

Average Percentage of Placement of Outgoing Students

Session – 2022-2023

Year	Name of students placed & contact details	Program graduated from	Name of the employer with contact details	Pay package at appointment (In INR per annum)
2022-23	Ku. Jharna Mangaltarai (Dondi) 9301582220	B.A.II	Women & Child Development Dondi (Dist- Balod)	5000/ month
2022-23	Ku. Renuka Akalwara (Gurur) 9399033053	B.A.II	Women & Child Development Dondi (Dist- Balod)	5000/month




Principal
Govt. College, Gurur
Dist. - Balod (C.G.)

सर्व,
परियोजना अधिकारी जी
एकीकृत महिला बाल विकास परियोजना डोंडी - 01

प्रिय -
जवाहरिंग लेनि बाबत
महोदय जी,
उपाय ले निवेदन ई कि मैं कु. झरगा
पिता श्री जोगेराव जाति महाद ग्राम परकालकसा
पंचायत मंगलतराई पौरस सिंधोला त. डोंडी जिला
बालोद (ख.ग.) का निवासी हूँ। मैं एकल पारा
उपगणना में आधिकारिक पत्र पर अपने अमरुत
आवेदन के आधा दिनांक 25/05/23 को जवाहरिंग
ले रही हूँ।

दि. 25/05/23

आधार नं. - 258966747227
मोबाइल नं. - 9301582220
खाता नं. - 37453216057

एकीकृत पारा वर्क - 11
दिनांक - 26/05/23

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
डोंडी-01, जिला-बालोद(छ.ग.)

पृ.क्र.01 / स्वा./आ.बा.नियु./2023-24
डोंडी-01, दिनांक- 23/05/2023

प्रतिनिधि,

- संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग, रायपुर की ओर सादर सूचनायें संश्लेषित।
- कलेक्टर महोदय, जिला-बालोद की ओर सादर सूचनायें संश्लेषित।
- जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास जिला-बालोद की ओर सादर सूचनायें संश्लेषित।
- अनुविभागीय अधिकारी, (रा) डोंडीलोहास की ओर सादर सूचनायें संश्लेषित।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत डोंडी की ओर सादर सूचनायें संश्लेषित।
- सेक्टर पर्यवेक्षक सेक्टर श्रीमती को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनायें।
- सर्वप्रथम ग्राम पंचायत जनपद पंचायत डोंडी को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनायें।
- सर्व संश्लेषित ग्राम को पालनार्थ हेतु सूचनायें।
- नोटिस बोर्ड जनपद कार्यलय/परियोजना डोंडी 01 के सूचना पटल में प्रकाशनायें।
- कार्यालय नसी हेतु।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
डोंडी-01, जिला-बालोद(छ.ग.)

कार्यालय महिला एवं बाल विकास परियोजना डोंडी-01, जिला-बालोद(छ.ग.)
आदेश:-
क्र.01/स्वा./आ.बा.नियु./2023-24
डोंडी-01, दिनांक- 23/05/2023

छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, डी.के.एस. भवन, रायपुर के शासन क्रमांक/728/1098/2008/मबावि/50 रायपुर, दिनांक 02.04.2008 में दिये गये निर्देशानुसार सामान्य प्रशासन समिति जनपद पंचायत डोंडी के बैठक दिनांक 19/05/2023 में पारित प्रस्ताव क्रमांक 02 परकालकसा, प्रस्ताव क्रमांक 03 कुरुटोला 02 एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उकारी 01 प्रस्ताव क्रमांक 08 के अनुसार नीचे उल्लिखित आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका की नियुक्त करते हुए उनके नाम के समुच्चय दर्शित आंगनवाड़ी केंद्रों में आगामी आदेश पर्यंत अस्थायी रूप से परदेस किया जाता है:-

क्र.	घराने अनुसार की नाम पति/पति का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	आंगनवाड़ी केंद्र का नाम	पद जिस पर चयन किया गया है	मानदेय राशन द्वारा देय	अतिरिक्त मानदेय राशन द्वारा देय	शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दर प्रतिमाह
1.	श्रीमती डोमीन गौर/ निर्मल कुमार गौर	स्व.श्री उकारी	उकारी 01	कार्यकर्ता	4500	5500	रु.5000/-
2.	कुमारी झरगा/श्री जागेश्वर	मंगलतराई	परकालकसा	सहायिका	2250	2750	रु.5000/-
3.	श्रीमती गिरिजा/श्री उमेश कुमार	कुजकनहार	कुरुटोला 2	सहायिका	2250	2750	रु.5000/-

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगा -

- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, कार्य में लापरवाही अथवा शिकायत प्राप्त होने पर बिना पूर्व सूचना के कमी भी सेवा समाप्त किया जा सकता है।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका का पद पूर्णतः मानसेवी तथा अशासकीय है। शासन द्वारा निर्धारित मानदेय प्रतिमाह देय होगा।
- चयनित अर्थव्यवस्था द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र प्रथम दृष्टया सत्य एवं प्रामाणिक मानते हुए यह नियुक्ति दी गई है। नविय में यदि उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी अथवा प्रमाण पत्र असत्य/फर्जी पाये जाने पर नियुक्ति तत्काल निरस्त कि जावेगी तथा उम्मीदवार के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जावेगा।
- नियुक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका को विभाग द्वारा नियत प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने परथात् ही मानदेय उसी दिनांक से देय होगा।
- नियुक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त एक माह के अंदर अपना बैंक खाता भारतीय स्टेट बैंक के किसी नजदिकी शाखा में खाता खुलवाकर पास बुक के उपरी प्रति जिसमें खाता एवं पता का उल्लेख हो की छायाप्रति कार्यालय एकीकृत बाल विकास परियोजना डोंडी में अनिवार्य रूप से देना होगा। साथ ही आधार कार्ड, पैन कार्ड, अंकसूची, जाति, निवास एवं अन्य दस्तावेज/प्रमाण पत्र की छायाप्रति भी जमा करना होगा।
- नियुक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 15 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना डोंडी में देना होगा।
- अन्य शर्तें छगन शासन महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर के पत्र क्रमांक/728/1098/2008/मबावि/50 रायपुर, दिनांक 02.04.2008 में दिये गये प्रावधान अनुसार होगी।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
डोंडी-01, जिला-बालोद(छ.ग.)

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गुरुद
जिला-बालोद(छ.ग.)
क्रमांक 320/आ.बा.का.स./वि.यु./2023-24
गुरुद दिनांक 31/07/2023

आदेश:-

कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना गुरुद जिला-बालोद (छ.ग.) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका को नियुक्त करने पर 1307/शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंगलतराई(डी.के.एस.) भवन रायपुर का पत्र क्र. 728/1098/2008/मबावि/50 रायपुर दिनांक 02/04/2008 में नीचे निम्न में दिये गये निर्देशानुसार मुख्यालय समिति की बैठक दिनांक 13/10/2022 के अनुसार एवं आंगनवाड़ी एवं बाल विकास विभाग की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 15/12/2022 में अनुसूचित क्षेत्र एवं आंगनवाड़ी विभाग में स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया था। जो कि क्रमांक 01 के सूचीकृत प्रपत्र को चुकी है। व्यवस्थापन निम्नलिखित अस्थायी जो उनके नाम के अलावा केवल उनके पत्र क्रमांक 01 हेतु निम्न शर्तों के आधार पर नियुक्ति दी जाती है:-

व्ययन की शर्तें:-

- चयनित पद पूर्णतः अस्थायी एवं मानसेवी पद है। जिन्हें भारत शासन एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित मानदेय प्रदान किया जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को मानदेय रु. 4500/- एवं अतिरिक्त मानदेय रु. 5500/- कुल राशि 10000/- प्रतिमाह प्रदान किया जावेगा। आंगनवाड़ी सहायिका को मानदेय रु. 2250/- एवं अतिरिक्त मानदेय रु. 2750/- कुल राशि 5000/- प्रतिमाह प्रदान किया जावेगा।
- नियुक्ति परथात् यदि प्रस्तुत दस्तावेज में जाम में किसी प्रकार की त्रुटि पायी जाती है। तो नविय में उसे मूलक किया जा सकता है। कार्य अस्तित्वजनक पाये जाने पर दिन करण अलावा सेवा संबंधित को कार्यवाही की जा सकती है।
- नियुक्ति परथात् शासन के द्वारा निर्धारित विभाग एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- नियुक्ति परथात् प्रशिक्षण प्रदान किया जावेगा। अशिक्षित अथवा अज्ञान मानदेय का भुगतान किया जावेगा।
- चयनित पद पूर्णतः अस्थायी एवं मानसेवी पद है। योजना समिति की परथात् शासन द्वारा जारी की गयी कार्यभार वृत्त पत्र से मूलक किया जा सकता है।

चयनित अर्थव्यवस्था के नाम पद/ग्राम का नाम केंद्र की संख्या

क्र.	ग्राम का नाम आंगनवाड़ी केंद्र का नाम	अस्थायी का नाम/पति/पति	जाति	शैक्षणिक योग्यता	व्ययन पद का नाम	दिनांक
1	ग्राम-अकलवास आठवाड केंद्र	कु. डेणुका/श्री होस लाल	संवत	12 वी	आठवाड कार्यकर्ता	

नियुक्ति आदेश जारी होने के एक माह तक के अंदर अपने कार्य पत्र अतिरिक्त तीन अतिरिक्त पत्र उपस्थिति के समय समस्त दस्तावेजों का मूलाप्रति को सास-सका संबंधित जनपद एवं जिला कार्यालय प्रेषित करेंगे।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत गुरुद



Principal
Govt. College, Gurud
Dist. - Balod (C.G.)